राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा/2025/1589 दिनांक : 17.11.2025

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं की स्कीम एवं दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को प्रक्रियानुसार दो एन.ई.पी. काउन्सलर नियुक्त करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट तथा महाविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एन.ई.पी. नोटिफिकेशन–35 भी जारी किया जा चुका है।

महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को सही एवं उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण विश्वविद्यालय में अनावश्यक भीड़ होती है जिसकी वजह से कार्यालय कार्य प्रभावित होता है। अतः सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में नियुक्त दो एन.ई.पी. काउन्सलर के नाम, कमरा नम्बर, मोबाईल नम्बर तथा उनसे मिलने के समय के सम्बन्ध में समस्त जानकारी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही यदि किसी काउन्सलर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं एवं स्कीम के सम्बन्ध में कोई जानकारी आवश्यक है तो वे स्वयं व्यक्तिशः विश्वविद्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं भेजें, अन्यथा संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,
17.11.25
परीक्षा नियंत्रक